न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–134 / 2022
GCMS NO:- 2022/252

दायर दिनांकः 05.7.2022
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. बनवारी आ लादू जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवॉ।
2. कमला पुत्री लादू जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी अम्बालाल जाति मीणा नि0 राजकोट तहसील देवली जिला टोंक।
3. फोरी पुत्री लादू जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी गोपाल जाति मीणा नि0 राजकोट तहसील देवली जिला टोंक।
4. रमेशी पुत्री लादू जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी हंसराज जाति मीणा नि0 गेण्डोली की झोपडिया तहसील बून्दी।
5. राजबाई उर्फ राजाबाई पुत्री लादू जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा हा पत्नी राकेश जाति मीणा नि0 राजकोट तहसील देवली जिला टोंक।
6. रामचन्द्री पत्नी लादू जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवॉ।
7. समयाबाई पुत्री लादू जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी हंसराज जाति मीणा नि0 ईसरदा तहसील के0 पाटन।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशी पुत्री लोडक्या जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी कृष्णगोपाल जाति मीणा नि0 रसूलपुरा तहसील उनियारा।
2. गुलाब पत्नी स्व. माधो जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवॉ।
3. चड्डीबाई पुत्री लोडक्या जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी हीरालाल जाति मीणा नि0 खोडी तहसील हिण्डोली।
4. प्रभू लाल पुत्र माधो जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवॉ।
5. प्रहलाद पुत्र माधो जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवॉ।
6. मोतीशंकर पुत्र औंकार जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवॉ।
7. मोरपाली पुत्री लोडक्या जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी शोभाग जाति मीणा नि0 खोडी तहसील हिण्डोली।
8. राकेश कुमार पुत्र लोडक्या जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवॉ।
9. राजन्ता पुत्री लोडक्या जाति मीणा नि लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी रामरतन जाति मीणा नि0 गोबल्या ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
10. शंकर पुत्र माधो जाति मीणा नि0 लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवॉ।
11. बैक ऑफ बडोदा शाखा नैनवॉ जर्ये शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवॉ।
12. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।
प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम हरिपुरा प0म0 भजनेरी मे जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 21 पुराना 21 के अनुसार खसरा नम्बर 1581 रकबा 0.3883 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1583 रकबा 0.4207 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1587 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1589 रकबा 0.6391 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1590 रकबा 1.2863 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2866 / 1587 रकबा 0.5420 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 3.3330 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण पुश्तैनी रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे जाने का एकमात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 61 व 57 जो कि ग्राम लक्ष्मीपुरा मे स्थित है, मे होता हुआ प्रार्थीगण के खाते

की भूमि मे पहुंचता है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि मे जाने के उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से अ, ब स्थान के रूप मे दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का नही है। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 61 व 57 मे होकर 25 फीट चौडा तथा उत्तर दक्षिण संपूर्ण लम्बाई मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमियों तक पहुंचने का रास्ता ही एक मात्र रास्ता है जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ते का अंकन होना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.10.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए विशेष आपत्तीयों मे कथन किया कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों पर जाने व अन्य कृषि उपकरणों को लाने ले जाने का वर्षो पुराना रास्ता मौजुद है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1583 के अडवां पूरबी ओर सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2865/1584 स्थित है जिस पर भी प्रार्थीगण का ही कब्जा है। इसके अडवां पूरबी ओर दुगारी बांध की नहर है, नहर के सहारे–सहारे 30 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है जिस पर ग्रेवल रोड बना हुआ है जो लक्ष्मीपुरा व हरिपुरा की डामर सडको को जोडता है जिसके खसरा नम्बर 2849/1584 है जो राजस्व रिकॉर्ड मे गै0मु0 सडक दर्ज है जिस पर दोनो गांव के सभी व्यक्ति आते जाते है। साथ ही प्रार्थीगण ने उनके खाते की भूमि खसरा नम्बर 1583 व कब्जे की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2865/1584 मे पश्चिम से पूरब नहर के रास्ते तक बैर के पेड़ के पास तक करीब 25 फीट चौडा रास्ता बना रखा है जिस पर प्रार्थीगण ने पंचायत के माध्यम से ग्रेवल डलवायी है। नहर पर बने हुए रास्ते मे होकर उपरोक्त रास्ते मे प्रवेश करके प्रार्थीगण अपने खातेदारी की समस्त कृषि भूमियों व मकान पर आते जाते है। पंचायत ने नहर पर भी ग्रेवल डालकर रास्ता बना दिया है जो चालू है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास समुचित रूप से व स्थायी रूप से अपनी भूमियों पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है। साथ ही कथन किया हुआ है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 57 वांके ग्राम लक्ष्मीपुरा के संबंध मे अप्रार्थीगण ने श्रीमान के न्यायालय मे प्रार्थीगण संख्या 1, उसके पुत्र अजय, पत्नी रूकमणी, प्रार्थी संख्या 6 के विरूद्व स्थायी निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 115/2022 इस प्रार्थना पत्र से पहले ही प्रस्तुत कर रखा है जिसमे उनको इस आशस की अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद फरमा रखा है कि खसरा नम्बर 57 रकबा 0.4773 हैक्टयर वांके ग्राम लक्ष्मीपुरा की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

तहसीलदार नैनवॉ के पत्रांक/राजस्व/2022/2951 दिनांक 12.2.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे बताया कि ग्राम हरिपुरा मे स्थित प्रार्थीगण की खाते की भूमि पर जाने के लिए ग्राम लक्ष्मीपुरा मे से खसरा नम्बर 57 व 61 जहां से होकर प्रार्थीगण ने रास्ता चाहा है, के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम रास्ता नही है तथा ग्राम हरिपुरा मे स्थित प्रार्थीगण की खाते की भूमि नहर से लगती हुई है जिसमे से नहर के उपर से रास्ता दिया जा सकता है। तहसीलदार नैनवॉ के उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आपत्ती पेश कर पुनः इस आशय से रिपोर्ट तलब करने हेतु निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत मे वर्तमान मे कहां से होकर आ जा रहे है। तहसीलदार नैनवॉ से उक्त आपत्ती अनुसार रिपोर्ट मंगवाये जाने पर तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/281 दिनांक 15.07.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमे बताया कि प्रार्थीगण की ग्राम हरिपुरा मे स्थित कृषि भूमि पर पूर्व मे ग्राम लक्ष्मीपुरा से जिस रास्ते से आ जा रहा था, को अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया जाने पर वर्तमान मे मौके पर बनी पक्की नहर की पटरी के सहारे सहारे अस्थाई वैकल्पिक रूप से आ जा रहा है।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हरिपुरा मे स्थिति प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बरान 1581, 1583, 1587, 1589, 1590, 2866/1587 पर जाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे प्रदर्शित रास्ते के अनुसार रास्ता प्रार्थीगण को दिया जावे जिसकी पुष्टि तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 12.2.2025 मे की गयी है। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों पर जाने व अन्य कृषि उपकरणों को लाने ले जाने का वर्षो पुराना रास्ता मौजुद है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1583 के अडवां पूरबी ओर सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2865/1584 स्थित है जिस पर भी प्रार्थीगण का ही कब्जा है। इसके अडवां पूरबी ओर दुगारी बांध की नहर है, नहर के सहारे–सहारे 30 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है जिस पर ग्रेवल रोड बना हुआ है जो लक्ष्मीपुरा व हरिपुरा की डामर सडको को जोडता है जिसके खसरा नम्बर 2849/1584 है जो राजस्व रिकॉर्ड मे गै0मु0 सडक दर्ज है जिस पर दोनो गांव के सभी व्यक्ति आते जाते है। साथ ही प्रार्थीगण ने उनके खाते की भूमि खसरा नम्बर 1583 व कब्जे की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2865/1584 मे पश्चिम से पूरब नहर के रास्ते तक बैर के पेड़ के पास तक करीब 25 फीट चौडा रास्ता बना रखा है जिस पर प्रार्थीगण ने पंचायत के माध्यम से ग्रेवल डलवायी है। नहर पर बने हुए रास्ते मे होकर उपरोक्त रास्ते मे प्रवेश करके प्रार्थीगण अपने खातेदारी की समस्त कृषि भूमियों व मकान पर आते जाते है। पंचायत ने नहर पर भी ग्रेवल डालकर रास्ता बना दिया है जो चालू है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास समुचित रूप से व स्थायी रूप से अपनी भूमियों पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है तथा प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि खसरा नम्बर 57 मे से रास्ता चाहा गया है, पर वर्तमान मे श्रीमान के न्यायालय की पत्रावली संख्या 115/प्रार्थना पत्र/2022 से स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तथा धारा 251क का यह प्रार्थना पत्र पूर्व मे पहले से ही विचाराधीन वाद संख्या 89/दावा/2022 अथवा 115/प्रार्थना पत्र/2022 की जानकारी होने के बावजूद पेश किया गया जो चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन, मनन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए जिस खसरा नम्बर 57 मे से जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, पर वर्तमान मे इसी न्यायालय की पत्रावली संख्या 115/प्रार्थना पत्र/2022 द्वारा स्थगन आदेश खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकालने के संबंध मे ही पारित किया हुआ है तथा उक्त स्थगन वर्तमान मे भी प्रभावी है अतः प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 57 मे से जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, पर वर्तमान मे स्थगन होने से इस पत्रावली मे रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तंत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी **नैनवॉ**